

RBENo.- 58/15

CPO's SI. No. 81/15

dated : 25/6/15

No. E/9CA/0/ECR/10P

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू०ग०रे०, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यात्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्रचारार्थ/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकाय्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/Sub: 01/01/2015 से रात्रिकालीन इश्टी भर्ते की स्त/

संदर्भ/Ref: रेलवे बोर्ड का पत्रांक सं० - ई(पी एंड ए)II/2015/एच. डब्ल्यू - 1
दिनांक 8/6/15.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक वगैरवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded here with for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA : As above.

अंजलि
25/6/15
(सं. पी. प्री. प्र. प्र. प्र.)
वकाधि/MRE एवं रुलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित:

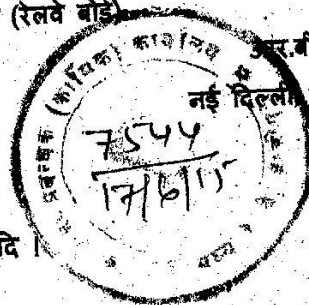
1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0सी0/एस0टी0 एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सहायक (प्र. पी. प्र. प्र.)/हाजीपुर/कृपया ईई नोट पर उपलब्ध मार्गदर्शन का पालन करें।
4. महाप्रबंधक/उत्तर एवं दक्षिण/पूमरे/हाजीपुर

25/6/15

02/11/06
09/06 पूर्ण-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 11
दिनांक 11/06

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(पीएंडए)11-2015/एच.डब्ल्यू-1



उत्तर बी.ई.सं. 58/2015

नई दिल्ली, दि. 8.06.2015

E.C. Dy.

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
(डाक सूची 1 और 2 के अनुसार)

विषय :- 01.01.2015 से रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरें।

रेल मंत्रालय के दिनांक 13.04.2015 के पत्र सं. पी.सी. VI/2008/I/7/2/1 द्वारा महंगाई भत्ते की एक और किश्त की स्वीकृति परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि बोर्ड के दिनांक 02.12.2014 के पत्र सं. ई(पीएंडए)11-2014/एच.डब्ल्यू-1 के अनुबंध "क" एवं "ख" में यथा अधिसूचित रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरों को 01.01.2015 से "निरंतर", "गहन" तथा "वर्जित कोटियाँ" एवं कारखाना कर्मचारियों के संबंध में अनुबंध "क" में उल्लेख किए गये अनुसार तथा "अनिवार्य सविरामी" कोटियों के संबंध में अनुबंध "ख" में उल्लेख किए गये अनुसार संशोधित किया जाए।

CPO
FA & CAO

म.प्र. 11/06/15

सचिव

11-6-15

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(के. शंकर)

नि./स्था.(वे.एवं भ.)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: 1

सं. ई(पीएंडए)11-2015/एच.डब्ल्यू-1

नई दिल्ली, दि. 8.06.2015

प्रतिलिपि :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।
2. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

संलग्नक: 1

For Circulation
Reling

मुख्य
मुख्य (प्रशासन)
मुख्य (वित्त)
मुख्य (इ.प.स.)
मुख्य (सुरक्षा)

19/6/15
18/6/15

(के. शंकर)

नि./स्था.(वे.एवं भ.)

रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 58 /2015

No.E(P&A)II-2015/HW-1

New Delhi, dated 08-06-2015.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod. Units etc,
(As per mailing lists No.I & II).

Subject: Rates of Night Duty Allowance w.e.f. 01.01.2015.

+++++

Consequent to sanction of an additional instalment of Dearness Allowance vide this Ministry's letter No. PC-VI/2008/I/7/2/1 dated 13.04.2015, the President is pleased to decide that the rates of Night Duty Allowance, as notified vide Annexures 'A' and 'B' of Board's letter No. E(P&A)II-2014/HW-1 dated 02.12.2014 stand revised with effect from 01.01.2015 as indicated at Annexure 'A' in respect of 'Continuous', 'Intensive', 'Excluded' categories and workshop employees, and as indicated at Annexure 'B' in respect of 'Essentially Intermittent' categories.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA:One.


(K.Shankar)
Director/E(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-2015/HW-1

New Delhi, dated 08-06-2015.

Copy forwarded to :

- (i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Prod Units etc.
- (ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

DA:One.


(K.Shankar)
Director/E(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-2015/HW-1

New Delhi, dated 08-06-2015.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

DA: One.


for Financial Commissioner/Railways.
....2/-

अनुबंध 'क'
ANNEXURE 'A'

गहन, निरंतर एवं वर्जित कोटियों तथा कारखाना कर्मचारियों के लिए 01.01.2015 से लागू रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दरें ।

Rates of Night Duty Allowance (NDA) with effect from 01.01.2015 for 'Intensive', 'Continuous' and 'Excluded' categories and Workshop staff.

क्रम सं.	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दर
S. No.	Pay Band	Grade Pay	Rate of NDA (in Rs.)
1	4440 - 7440	1300	71.75
2	4440 - 7440	1400	72.70
3	4440 - 7440	1600	74.70
4	4440 - 7440	1650	75.20
5	5200 - 20200	1800	143.65
6	5200 - 20200	1900	144.65
7	5200 - 20200	2000	145.65
8	5200 - 20200	2400	149.60
9	5200 - 20200	2800	153.55
10	9300 - 34800	4200	260.05
11	9300 - 34800	4600 and above (4600 व अधिक)	264.00

अनुबंध 'ख'
ANNEXURE 'B'

अनिवार्य संविरामी कोटियों के लिए 01.01.2015 से लागू रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दरें ।

Rates of Night Duty Allowance (NDA) with effect from 01.01.2015 for 'Essentially Intermittent' categories of Staff.

क्रम सं.	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दर
S. No.	Pay Band	Grade Pay	Rate of NDA (in Rs.)
1	4440 - 7440	1300	47.85
2	4440 - 7440	1400	48.45
3	4440 - 7440	1600	49.80
4	4440 - 7440	1650	50.15
5	5200 - 20200	1800	95.75
6	5200 - 20200	1900	96.45
7	5200 - 20200	2000	97.10
8	5200 - 20200	2400	99.75
9	5200 - 20200	2800	102.35
10	9300 - 34800	4200	173.35
11	9300 - 34800	4600 and above (4600 व अधिक)	176.00